संख्या- 1509 आ.न.यो./9-8-2018

प्रेषक,

अखिलेश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक: 08 जून, 2018

विषय: नागर स्थानीय निकायों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व वित्तीय वर्षो में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विभिन्न स्थानीय नागर निकायों को पूर्व वित्तीय वर्षो में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने हेतु विभिन्न नागर निकायों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित 04 नागर निकायों को पूर्व वित्तीय वर्षो में आदर्श नगर योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित तिथि तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि निकाय योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे एवं किसी भी दशा में उक्त दिनांक से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में उनके नाम के सम्मुख अंकित शासनादेश द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यो को पूर्ण कराकर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन/निदेशक, नगरीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत किये गये कार्यो में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति अनुमन्य नहीं होगी :-

क्र. सं	जनपद का नाम	निकाय का नाम	आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृत से सम्बन्धित शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रूपये लाख में)	स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	नगर निगम-अयोध्या	57/57आ.न.यो./9-8-14-3आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 18.02.2014	25.00	30.08.2018
2	उन्नाव	न.पं. भगवन्तनगर	12/2016/248आ.न.यो./9-8-16-39आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 11.03.2016	19.911	30.08.2018
			181/2015/765आ.न.यो./9-8-15-39आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 05.05.2015	31.09	30.08.2018
3	बदायूं	न.पं. सैदपुर	154/2016/1532आ.न.यो./9-8-16-13आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 07.11.2016	15.00	30.08.2018
4	इलाहाबाद	न.पं. कोरांव	187/2015/943आ.न.यो./9-8-2015-39आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 21.05.2015	199.00	30.08.2018

2. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(अखिलेश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 1509 (1)आ.न.यो./9-8-18 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. नगर आयुक्त नगर निगम-अयोध्या जनपद-फैजाबाद ।
5. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बृजेन्द्र सिंह)

अनुसचिव।